

# झारखण्ड सरकार

## ऊर्जा विभाग

### झारखण्ड रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेन्ट एजेन्सी (ज्रेडा)

तृतीय तल्ला, एस०एल०डी०सी० भवन, कुसई कॉलोनी, डोरंडा, रॅची-834002  
फोन संख्या-0651-2491161, फैक्स संख्या-0651.2491165

#### आम सूचना

#### बायोगैस निर्माण कराने हेतु आवेदन


सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि झारखण्ड रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेन्ट एजेन्सी (ज्रेडा) द्वारा झारखण्ड राज्य में राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम अन्तर्गत 2-6 घनमीटर क्षमता तथा 6 घनमीटर क्षमता से उपर के दीनबंधु/केंद्रीय और राज्य संयंत्र का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।

इच्छुक व्यक्ति बायोगैस संयंत्र निर्माण हेतु आवेदन पहचान पत्र के साथ सीधे ज्रेडा कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

- **बायोगैस संयंत्र का लाभः-** बायोगैस संयंत्र से निकले गैस का उपयोग खाना बनाने/रोशनी की व्यवस्था हेतु की जा सकती है। गैस से खाना बनाते समय बर्तन काला नहीं होता है, जिससे महिलाओं को बर्तन धोने में कठिनाई नहीं होती है। रसोईघर में धुआँ नहीं होने से महिलायें बिमारी से बचती हैं।

**शर्तः-**

1. 2 घनमीटर के बायोगैस संयंत्र हेतु इच्छुक व्यक्ति पास कम से कम 5 (पाँच) या पर्याप्त मात्रा में वयस्क मवेशी हो तथा लाभार्थी अंशदान की राशि व्यय करने में सक्षम हो साथ ही संयंत्र में प्रतिदिन गोबर एवं पानी का मिश्रण भरने के इच्छुक हो। साथ ही 4 एवं 6 घनमीटर से उपर क्षमता के संयंत्र हेतु उसी अनुपात में वयस्क मवेशी होना आवश्यक है।
2. बायोगैस संयंत्र के निर्माण पर ₹ 4000/- प्रति घनमीटर राज्य अनुदान ज्रेडा द्वारा दिया जायेगा।



निदेशक,  
ज्रेडा, रॅची।